UPMO010084252026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

उपस्थित–सै0 माऊज़ बिना आसिम, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O.Code No.–1895

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2623/2026

सावित्री देवी आयु लगभग 50 वर्ष पत्नी सुरेश चन्द्र, निवासी–लोधीपुर जवाहर नगर, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–692/2026,
धारा–115(2), 85, 80(2) बी0एन0एस0
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद।

25–08–2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता सावित्री देवी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–692/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 85, 80(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्ता द्वारा कथन किया गया है कि, अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्ता का अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3– मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा सुनील कुमार द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 04.07.2026 को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि, वह ग्राम मुण्डाला मौहम्मद जमापुर, थाना छजलैट, जिला मुरादाबाद का रहने वाला है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री स्मिता की शादी दिनांक 16.04.2025 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सुरजीत सागर पुत्र सुरेश, निवासी ग्राम–लोधीपुर जवाहर नगर, थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद के साथ की थी। उक्त शादी में प्रार्थी ने अपनी हैसियत से अधिक खर्च करके बुलेट मोटर साइकिल व

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.08.25 17:34:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लड़के पक्ष के मांगने पर दो लाख रूपये नकद सहित समस्त घरेलू सामान उपहार स्वरूप देकर अपनी पुत्री को विदा किया व शादी में लगभग 10,00,000/–रुपये खर्च किये थे, परन्तु शादी में मिले दान–दहेज से प्रार्थी की पुत्री स्मिता के पति सुरजीत पुत्र सुरेश, सास सावित्री पत्नी सुरेश, ससुर सुरेश पुत्र नामालूम, ननद प्रियांशी पुत्री सुरेश, देवर दीपांशु पुत्र सुरेश, निवासीगण ग्राम लोधीपुर जवाहर नगर, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद व नन्दोई सुशील कुमार पुत्र नामालूम, निवासी शाहपुर, अमरोहा खुश नहीं थे और आये दिन प्रार्थी की पुत्री स्मिता को कम दहेज के ताने देकर प्रताड़ित करते तथा अतिरिक्त दहेज में 5,00,000/–रुपये नकद की मांग करते और मांग पूरी कराने के लिये प्रार्थी की पुत्री स्मिता के साथ मानवीय अत्याचार करते, उसे खाने–पीने से भी तंग रखते और उसके साथ आये दिन मारपीट करते। प्रार्थी की पुत्री ने परेशान होकर सारी घटना प्रार्थी को बतायी, जिस पर प्रार्थी ने उक्त सभी ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया तथा अपनी पुत्री की खुशी के लिये माह अप्रैल, 2026 में उक्त सुरजीत आदि के मांगने पर एक लाख रूपये नकद दिये, लेकिन उपरोक्त लोग अपनी 5 लाख रूपये की मांग पर अड़े रहे, प्रार्थी ने उपरोक्त लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया कि वह पहले ही शादी में काफी खर्च कर चुका है, अब उसकी 5 लाख रूपये देने की स्थिति नहीं है, लेकिन उपरोक्त लोग नहीं माने, तब मजबूर होकर दिनांक 29.05.2026 को पुनः प्रार्थी ने उक्त सुरजीत आदि को 50,000/–रूपये नकद प्रदान किये, लेकिन उपरोक्त लोगों ने अपनी दहेज की मांग नहीं छोड़ी और लगातार प्रार्थी की पुत्री स्मिता को दहेज के लिये प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 03.07.2026 को उपरोक्त लोगों ने पुनः एकराय होकर प्रार्थी की पुत्री स्मिता को दहेज के लिये प्रताड़ित करते हुये मारपीट कर उसकी हत्या कर दी तथा हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिये कपड़े से पंखे पर टांग दिया। उक्त घटना की सूचना प्रार्थी को शाम 06:00 बजे फोन पर बिचौलिया सत्यपाल द्वारा दी गयी, तब प्रार्थी अपने परिजनों के साथ स्मिता की ससुराल गया, तो देखा कि प्रार्थी की पुत्री स्मिता को पंखे से टांग रखा है, जिसके पैर बैड पर लगे हैं, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी ने एकराय होकर प्रार्थी की पुत्री की दहेज के लिये हत्या की है और उपरोक्त सभी लोग फरार हो गये हैं। प्रार्थी ने तुरन्त 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर आयी और प्रार्थी की पुत्री स्मिता के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लायी है। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत उक्त तहरीर के आधार पर संबंधित थाना में अभियक्तगण सुरजीत सागर, सावित्री, सुरेश, प्रियांशी, दीपांशु व सुशील कुमार के विरुद्ध धारा–115(2), 85, 80(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

4– प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थिनी को रंजिशन झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थिनी ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं

किया है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है, प्रार्थिनी ने किसी से भी कभी किसी प्रकार की दहेज की कोई मांग नहीं की और न ही कभी मानसिक व शारीरिक रूप से किसी को प्रताड़ित किया, प्रार्थिनी बीमार रहती है व हॉर्ट की मरीज है, वह आये दिन अस्पताल में भर्ती होती रहती है, घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, प्रार्थिनी ने कभी भी पांच लाख रुपए नकद की मांग पीड़िता से नहीं की और न ही इस बात पर कभी अपनी पुत्रवधू को तंग व परेशान किया, प्रार्थिनी ने दहेज से संबंधित बात को लेकर कभी पीड़िता को ताना नहीं दिया, बल्कि प्रार्थिनी अपने पुत्र की शादी स्मिता से करके काफी खुश थी, प्रार्थिनी कभी दान–दहेज को लेकर कोई छींटाकशी नहीं करती थी, घटना वाले दिन प्रार्थिनी काफी बीमार थी, प्रार्थिनी की पुत्रवधू स्मिता काफी चिढ़चिढ़े व गुस्सैल स्वभाव की थी, प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, प्रार्थिनी दिनांक 21.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए संयुक्त रूप से तर्क दिया कि, अभियुक्ता ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रूपये की की मांग की और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया तथा विवाह के लगभग एक वर्ष ढाई माह के अन्दर ही उसकी दहेज मृत्यु कारित की है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता मृतका की सगी सास है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रार्थिनी/अभियुक्ता मृतका की सास है और तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के लगभग एक वर्ष ढाई माह के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में ससुराल में कारित हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण Asphyxia as a result of Antemortem Hanging से होना अंकित है। वादी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थिनी/अभियुक्ता एवं अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रूपये की मांग करने, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने, खाने–पीने से तंग रखने व उसके साथ आये दिन मारपीट करने आदि के कथन किये हैं। पत्रावली में प्रार्थिनी/अभियुक्ता की संलिप्तता हेतु

पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थिनी/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता सावित्री देवी का जमानत प्रार्थना–पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–692/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 85, 80(2) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद, निरस्त किया जाता है।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
25.08.2026

स्टेनो–राजीव कुमार।